राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साअधिकार प्रकाशित

Published by Authority

सत्यमेव जयते

फाल्गुन 09, शुक्रवार, *शाके* 1941–फरवरी 28, 2020
Phalguna 09, Friday, Saka 1941–February 28, 2020

भाग 7
विभिन्न विभागों में प्रदायो के लिए टेन्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये सार्वजनिक और निजी विज्ञापन।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 28, 2020

संख्या राविविआ/सचिव/ विनियम/- 134 विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, भाविग्रिको/राविग्रिको के अन्तर्गत यथा परिकलित ग्रिड स्थिरता तथा सुरक्षा बनाये रखते हुए, पूर्वानुमान तथा शिडयूलिंग व उत्पादकों के विचलन व्यवस्थापन हेतु वाणिज्यिक प्रक्रिया के प्रावधान के माध्यम से सौर तथा पवन उत्पादन केन्द्रों के वृहद मान ग्रिड एकीकरण को सुगम बनाने के लिये निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. **लघुशीर्षक तथा प्रारम्भण:**

(1) ये विनियम, **"राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (सौर तथा पवन उत्पादन स्त्रोत के पूर्वानुमान, शिडयूलिंग, विचलन, व्यवस्थापन और सम्बद्ध मामलें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020"** कहलायेंगे।

(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **विनियम 3 में संशोधन:**

उपविनियम (1) एवं (2) दोनों में शब्दों ''खुले अभिगमन के माध्यम से कैप्टिव उपभोग के लिये'' तथा ''राज्य में या राज्य के बाहर'' के बीच में, शब्द ''या व्यापारी के माध्यम से'' अंत:स्थापित किये जायेगें।

3. **विनियम 7 में संशोधन:**

विनियम 7 में प्रकट हो रहें शब्दों ''क्यूसीए या पवन व सौर उत्पादक के पास अपनी अनुसूची तैयार करने के लिये राभाप्रेके के पूर्वानुमान को स्वीकार करने या उनके स्वयं के पूर्वानुमान पर आधारित अनुसूची राभाप्रेके को उपलब्ध कराने का विकल्प होगा'' को शब्दों ''सभी उपलब्ध आंकडों पर विचार करते हुए क्यूसीए या पवन व सौर उत्पादक अपने स्वयं के पूर्वानुमान पर आधारित अनुसूची राभाप्रेके को उपलब्ध करायेगें'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. **विनियम 16 में संशोधन:**

विनियम 16 में प्रकट हो रहें शब्दों ''या राभाप्रेके के पूर्वानुमान'' को विलोपित किया जायेगा।

5. **विनियम 20 में संशोधन:**

विनियम 20 को विलोपित किया जायेगा।

आज्ञा से

सचिव

NOTIFICATION

JAIPUR, January 28, 2020

No. RERC/Secy./Regulation -134 .-In exercise of the powers conferred under Section 181 of the Electricity Act, 2003 and all powers enabling it in this behalf, the Rajasthan Electricity Regulatory Commission makes the following Regulations to facilitate large-scale grid integration of solar and wind generating stations while maintaining grid stability and security as envisaged under the IEGC/REGC, through forecasting & scheduling and providing commercial mechanism for Deviation Settlement of these generators, namely:

1. **Short title and commencement**:
    (1) These Regulations may be called the Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Forecasting, Scheduling, Deviation Settlement and Related Matters of Solar and Wind Generation Sources) (First Amendment) Regulations, 2020.
    (2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the official gazette.

2. **Amendment in regulation 3**:

The words "or through a trader" shall be inserted between the words "for captive consumption through OA" and "within or outside the State" in both the sub-regulations (1) and (2).

3. **Amendment in regulation 7**:

The words "The QCA or wind and solar generators will have the option of accepting the SLDC's forecast for preparing its schedule or providing a schedule to the SLDC based on their own forecast" as appearing in the regulation 7 shall be substituted with the words "The QCA or wind and solar generators shall provide a schedule to the SLDC based on their own forecast considering all available data".

4. **Amendment in regulation 16**:

The words "or SLDC's forecast" as appearing in regulation 16 shall stand deleted.

5. **Amendment in regulation 20**:

The Regulation 20 shall stand deleted.

By Order
Secretary

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।